प्रेस नोट

दिनांक 20.11.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सड़क सुरक्षा 'यातायात माह' के दृष्टिगत गुरुनानक चौक पर छात्राओं की यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया शुभारम्भ, आम जनमानस को वाहन चलाते समय यातायात नियमो का पालन करने हेतु किया गया जागरूक-

आज दिनांक 20.11.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा सड़क सुरक्षा 'यातायात माह' के दृष्टिगत गुरुनानक चौक पर छात्राओं की यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ किया गया। आम जनमानस को वाहन चलाते समय यातायात नियमो का पालन करने हेतु जागरूक किया गया । यातायात जागरूकता रैली में राजकीय बालिका इंटर कालेज गोण्डा के छात्राए सम्मलित हुई जो यातायात बूथ गुरूनानक चौक से शुरू होकर जिला अस्पताल से होते हुए थाना कोतवाली नगर में समाप्त हुई। जिससे आम जनता को यातायात नियमों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया । यातायात नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। महोदय द्वारा रैली के दौरान आम जनमानस व वाहन चालको को संबोधित करते हुए यातायात नियमों के पालन करने/कराने का संदेश दिया गया ।

01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/इयरफोन का प्रयोग न करे।
02. नाबालिक बच्चो का वाहन चलाना वर्जित है।
03. दो पहिया वाहन चालक एवम् पीछे बैठी सवारी हेलमेट का प्रयोग करना अनिवार्य है।
04. चार पहिया वाहनों का प्रयोग करते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करे।
05. गाडियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना नियम विरूद्ध है।
06. गाडियों में निर्धारित क्षमता से अधिक गति से वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
07. दायें बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करे।
08. वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करे।
09. वाहनों पर आगे व पीछे दोनो साइड निर्धारित रिफ्लेक्टर टेप लगाकर चले।
11. एम्बुलेंस एवं फायर वाहनों को जाने हेतु रास्ता पहले प्रदान करे।
12. नशे /मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन न चलाये।
13. वाहन चलाते समय सड़क पर स्टंट न करे।
14. सड़क पर दुर्घटना होने पर घायल व्यक्तियों की मदद करे तथा 112 को सूचित करे।

मीडिया सेल गोण्डा।

<u>**प्रेस नोट**</u>

<u>**दिनांक 20.11.2024, मानिटरिंग सेल**</u>

<u>**जनपद गोण्डा।**</u>

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्ता को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 30,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री मुंशीलाल पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी ग्राम कोच कासिमपुर पूरे महेशी थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 18.11.2021 को थाना कर्नलगंज पर सूचना दी गई कि उसका पुत्र अपने ससुराल गया था जहाँ उसकी पत्नी व सास द्वारा मारा पीटा गया था जिससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या कर लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 400/2021, धारा 306 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी पाये गये आरोपी अभियुक्ता ममता(पत्नी) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक श्री पशुराम सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 27.03.2022 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री रामदयाल महोदय द्वारा थाना कर्नलगंज पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री घनश्याम पाण्डेय, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 चन्दा देवी व थाना कर्नलगंज के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 20.11.2024 को दोषी अभियुक्ता ममता पत्नी रामसिंह निवासी कठोला तालाब बोटनपुरवा थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 30,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

01. ममता पत्नी रामसिंह निवासी कठोला तालाब बोटनपुरवा थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 400/2021, धारा 306 भादवि थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।